कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी,एवं भू–अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक– /री –2/भू. अ./2018 खण्डवा, दिनांक– 23.3.2018

प्रति,

नियंत्रक
केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय– "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की **धारा 19 उद्घोषणा** का राजपत्र मे प्रकाशन होने बाबत्। प्रकरण कमांक **3/अ–82/17–18** ग्राम **देवलामाफी** तहसील **खण्डवा**

––00––

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की **धारा 19 उद्घोषणा** का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग–1 मे होना हैं। कलेक्टर एवं समुचित सरकार, शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित **धारा 19 उद्घोषणा** की तीन प्रतियां आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र मे शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

प्रीति यादव (I.A.S.)
अनुविभागीय अधिकारी,एवं
भू–अर्जन–अधिकारी खण्डवा

क्रमांक– 759 /री –2/भू. अ./2018 खण्डवा, दिनांक– 23.3.2018

प्रतिलिपि–

1. संचालक, जन संपर्क संचालनालय, म.प्र.भोपाल की ओर **धारा 19 उद्घोषणा** की चार– प्रतियां भेजकर लेख है कि, कृपया इस क्षेत्र मे पढे जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रो मे इनका प्रकाशन करवाकर इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
2. उप मुंख्य इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेल्वे **इन्दौर** की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा गजट प्रकाशन प्रति एवं दो समाचार पत्र प्रकाशन प्रतियां संकलित कर इस कार्यालय को उपलब्ध करावे । समाचार प्रकाशन व्यय रेल्वे विभाग व्दारा वहन किया जावेगा ।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर, कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित धारा 19 उद्घोषणा को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
4. तहसीलदार **खण्डवा** की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस में वापसी भिजवाने की व्यवस्था करें
   1. कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड 2. उप–खण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
   3. तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड 4. ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर
   5. ग्राम **देवलामाफी** की चौपाल पर .

प्रीति यादव (I.A.S.)
अनुविभागीय अधिकारी,एवं
भू–अर्जन–अधिकारी खण्डवा

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्तीकं.142./2017 एलए

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक– 03/अ–82/17–18 खण्डवा, दिनांक 20/03/2018

//उद्घोषणा//

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः **भूमि अर्जन पुनर्वासन एंव पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19** के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

//अनुसूची//

1) भूमि का वर्णनः–

(क) जिला : **खण्डवा**
(ख) तहसील : **खण्डवा**
(ग) ग्राम : **देवलामाफी**
(घ) अर्जित रकबा : **0.93 हेक्टेयर**

खसरा कमांक	**अर्जित रकबा**
495	0.12
496/1	0.72
497	0.05
501	0.09 सिंचित
498	0.16
499	0.08
500/3	0.30 सिंचित
502	0.01 सिंचित
कुल खसरा नं0–8	कुल रकबा– 0.93 हैं0

2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है, **खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन के साथ न्यू ब्रोडगेज बायपास कार्य. हेतु।**

3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी,खण्डवा तथा **उप–मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के** कार्यालय मे किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अभिषेक सिंह)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग